



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड,  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
अध्याय -9 (नियमावली-8)  
निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधि



सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
अध्याय -9 (नियमावली-8)  
निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधि

1. बीबीएमबी-1974 एवं 1976 क्रमशः के विभिन्न नियमों /विनियमों /मामलों पर निर्णय लेने हेतु पालन किया जाता है ।
2. अनुदेश समय-समय पर जारी वैधानिक नियमों पर आधारित हैं ।(संदर्भ अध्याय-4 नियमावली-3)
3. सेवा कार्यान्वयन हेतु निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है ।

भागीदार राज्यों में जल और विद्युत की भागीदारी के समग्र संदर्भ हेतु पंजाब पुनर्गठन अधिनियम एवं अन्य संयुक्त अनुबंध अर्थात् भाखड़ा नंगल अनुबंध इत्यादि द्वारा नियन्त्रित होता है ।

4. वार्षिक बजट /संशोधित बजट को अन्तिम रूप देने के लिए भागीदार राज्यों के साथ वार्षिक बजट बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

ग्राहकों की अपेक्षाओं और पूर्व माह निर्धारित अनुपालना की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति का मासिक आयोजन करना । तकनीकी समिति में सभी भागीदार राज्यों का प्रतिनिधित्व है व इसका गठन निम्नलिखित है :-

प्रमुख	:	अध्यक्ष बी.बी.एम.बी.
सदस्य	:	बी.बी.एम.बी. के सदस्य सिंचाई /विद्युत
	:	भागीदार राज्यों के मुख्य अभियन्ता/सिंचाई
	:	भागीदार राज्य बिजली बोर्डों /विद्युत उपयोगिताओं के तकनीकी सदस्य ।
	:	मुख्य अभियन्ता/केन्द्रीय जल आयोग ।

---

हम स्वच्छ विद्युत का उत्पादन करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं..... क्या आपको हमारी जरूरत है ?

हम आपकी सफलता के भागीदार हो सकते हैं। स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं ।

We Generate Clean Power And Help Others Too.. Need Us?

We Can Be Partners In Your Success. Save Energy for Benefit of Self and Nation.



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड,  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
अध्याय -9 (नियमावली-8)  
निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधि



**भागीदार प्रायोजित मांगों व नहरों की जल वाहन क्षमता**

जलाशय स्थिति से सम्बंधित निवेश , अपेक्षित अंतर्वाह भागीदार राज्यों की प्रायोजित मांगों व नहरों की जल वाहन क्षमता के दस दिवसीय आधार पर जल के छोड़ने से सम्बंधित निर्णय इन बैठकों पर आधारित होते हैं । बीबीएमबी के विद्युत नियमन निदेशालय द्वारा जल के छोड़ने की सहमति पर आधित उत्पादन अनुसूची तैयार की जाती है । विद्युत के उत्पादन में आये किसी प्रकार के बदलाव की सूचना विद्युत विनियमन निदेशालय को पहुँचा दी जाए जी ।

नियमित परस्पर संवाद के माध्यम से सूचना नैशनल रिजनल लोड डिस्पैच सेन्टर एवं आर.एल.डी.सी. व राज्य बिली बोर्ड /विद्युत जनोपयोगी सेवाओं से सूचना बांटी जाएगी ।

निदेशक , जल निनियमन , बीबीएमबी ,नंगल द्वारा दैनंदित जल निर्गमन के सदृश अनुदेश संचारित किए जाते हैं ।

वर्तमान वर्ष व अनुबर्ती वर्ष हेतु संशोधित बजट को अन्तिम रूप देने हेतु भागीदार राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक बजट बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

---

हम स्वच्छ विद्युत का उत्पादन करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं..... क्या आपको हमारी जरूरत है ?

हम आपकी सफलता के भागीदार हो सकते हैं। स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं ।

We Generate Clean Power And Help Others Too.. Need Us?

We Can Be Partners In Your Success. Save Energy for Benefit of Self and Nation.



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड,  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
अध्याय -9 (नियमावली-8)  
निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधि



सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
अध्याय -9 (नियमावली-8)

निर्णय करने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यवाही

1. विभिन्न मामलों में निर्णय लेने हेतु बीबीएमबी -1974 एवं 1976 क्रमशः के नियम /विनियम को ध्यान में रखा जाता है ।
2. अनुदेश , समय –समय पर दर्शाए सांविधिक नियमों पर आधारित हैं (संदर्भ अध्याय-4 (नियमावली-3)
3. सेवा कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया निम्नलिखित है :-

भागीदार राज्यों को जल एवं विद्युत के बंटवारे के संदर्भ में व्यापक रूप से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अन्य संयुक्त समझौते यथा भाखड़ा ,नंगल समझौता इत्यादि के नियमों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं ।

वार्षिक बजट /संशोधित बजट को अन्तिम रूप देने हेतु भागीदार राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक बजट बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

ग्राहकों की आवश्यकताओं को निर्धारित करने एवं पूर्व माह के कार्य निष्पादन की समीक्षा के लिए तकनीकी समिति की मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

**निम्नलिखित व्यवस्थानुसार सभी भागीदार राज्यों के प्रतिनिधि इस तकनीकी समिति में सम्मिलित हैं**

प्रधान	अध्यक्ष बी.बी.एम.बी.
सदस्य	सदस्य सिंचाई /विद्युत बी.बी.एम.बी.
	भागीदार राज्यों के मुख्य अभियन्ता/सिंचाई
	मुख्य अभियन्ता/केन्द्रीय जल आयोग

जलाशय स्थिति , अनुमानित आगमन भागीदार राज्यों कीर प्रक्षेपित मांग एवं नहरों की जल ले जाने की क्षमता से सम्बंधित उपलब्धता के आधार पर इन बैठकों में 10 दिवस पर आधारित जल को छोड़ने सम्बंधी निर्णय लिए जाते हैं । बीबीएमबी के विद्युत विनियम निदेशालय द्वारा जल छोड़ने के समझौते के अनुसार उत्पादन अनुसूचियां बनाई जाती हैं । अनुसूचियों के बदलावों के बारे में विद्युत की उत्पादन अनुसूचित

हम स्वच्छ विद्युत का उत्पादन करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं..... क्या आपको हमारी जरूरत है ?

हम आपकी सफलता के भागीदार हो सकते हैं। स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं ।

We Generate Clean Power And Help Others Too.. Need Us?

We Can Be Partners In Your Success. Save Energy for Benefit of Self and Nation.



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड,  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
अध्याय -9 (नियमावली-8)  
निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधि



योजना बना दी जाती है ।

नियमित पारसस्परिक माध्यम द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र (उन.आर.एल.डी.सी.) व राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत जनोपयोगी सेवाओं के साथ सूचना बांटी जाती है ।

जहां तक कि परियोजना, प्रोफाइल/मुख्य वशिषताएं /बीबीएमबी की शक्तियां व समर्थता वैब-साईट (www.nhakr.nic.in.) पर उपलब्ध है व समय-समय पर इसे अपडेट कर दिया जाता है ।

कार्य के प्रबंधन की स्थिति विद्युत /जल आपूर्ति की स्थिति किसी विकासात्मक कार्य की प्रगति की सूचना के सम्बंध में सभी संप्रेषण बोर्ड /प्रचालन स्तर एवं समय पर सुनवाई व्यक्तिगत वार्ता , आवधिक रिपोर्टों एवं समीक्षा , पत्रों , फैक्स, बेतार , इ-मेल जैसा उपयुक्त हो, पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाती है ।

स्थिति की गंभीरता के अनुसार ग्राहक/भागीदार राज्यों की फीड-बैक/शिकायतें लोक शिकायत सहित से सम्बंधित कार्रवाई सभी सम्प्रेषणों पर प्रभावी रूप से की जाती है । तीव्र कार्रवाई हेतु इनका विश्लेषण एवं पारीक्षण किया जाता है । ये सम्प्रेक्षण व्यक्तिगत बैठकों के दौरान निरीक्षण यात्रा के दौरान अन्यथा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो सकती है ।

सम्बंधित विभाग /सरपंच /ताल्लुका/ग्राम स्तरीय अधिकारी के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से सम्बंधित मुख्य अभियन्ताद्वारा स्थानीय प्रबंधन /सामुदायों के साथ अच्छे सम्बंध विभाग/सरपंच/ताल्लुका/ग्राम स्वरीथ अधिकारी के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा स्थानीय प्रबंधन/सामुदायों के साथ अच्छे संबंध बनाने/परस्पर संवाद हेतु सार्थक प्रयास किए जाते हैं ।

निदेशक, जल विनियम, बीबीएमबी, नंगल द्वारा दिनों-दिन जारी सटश अनुदेशों को संप्रेषित कर दिए जाते हैं ।

आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित बजट एवं वर्तमान वर्ष हेतु संशोधित बजट को अंतिम रूप देने के लिए भागीदार राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक बजट बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

---

हम स्वच्छ विद्युत का उत्पादन करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं..... क्या आपको हमारी जरूरत है ?

हम आपकी सफलता के भागीदार हो सकते हैं। स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं ।

We Generate Clean Power And Help Others Too.. Need Us?

We Can Be Partners In Your Success. Save Energy for Benefit of Self and Nation.



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड,  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005  
अध्याय -9 (नियमावली-8)



निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई क्रियाविधि

बीबीएमबी द्वारा अपने कर्मचारियों उनके परिवारों साथ ही साथ स्थानीय लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं यथा रोगी के संदर्भ में अस्पतालों/डिस्पेंसरियां, विद्यार्थियों के संदर्भ में स्कूल, यात्रियों के संदर्भ में अतिथि गृहों इत्यादि से संबंधित लाभार्थियों की आवश्यकताओं की समीक्षा के पश्चात प्रदान की जाती है। ये समीक्षाएं विद्यमान/उपलब्ध सुविधाओं नियमों के अंतर्गत/इस सेवाओं को प्राप्त करने हेतु नियमित/अन्य विधिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर की जाती है।

**4. संचार :**

सभी संप्रेषणों का समय पर, प्रभावों अपेक्षित प्रत्युत्तर अनुवर्ती कार्यवाई यदि मुख्यतः आविधिक बोर्ड की बैठकों के दौरान प्राप्त हो तो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कल्याणकारी सेवाएं, सेवाएं प्रदान करने की सूचना प्रदान करने हेतु विद्यमान तंत्र लाभार्थियों को इन सेवाओं के प्राप्त करने संबंधी नियम व विनियम साथ ही साथ उनकी पूछताछ, शिकायतों एवं अन्य संप्रेषण मामले के उत्कर्ष की लाभार्थियों से प्राप्त संप्रेषण।

5. दस्तावेज प्रक्रिया/निर्णय प्रक्रिया के लिए वर्णित आधार निम्नलिखित हैं।

---

हम स्वच्छ विद्युत का उत्पादन करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं..... क्या आपको हमारी जरूरत है ?

हम आपकी सफलता के भागीदार हो सकते हैं। स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं।

We Generate Clean Power And Help Others Too.. Need Us?

We Can Be Partners In Your Success. Save Energy for Benefit of Self and Nation.